142 | C.A.O. dt.- 23.6.21

C.A.O. ...

आरोपित प्रार्थी कारागार में है

माननीय जिला एंव सत्र न्यायाधीश जनपद झांसी उ0प्र0

प्रार्थना पत्र सं0—   सन् 2021

सरकार   बनाम   अमन कुरैशी आदि

धारा—41,411,413 आई.पी.सी.

थाना—सीपरी बाजार झांसी

जनपद— झांसी उ0प्र0

अपराध स0—272 / 2018

सत्र परीक्षण सं0—210 सन् 2018

परीक्षण न्यायालय

विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश द्रुतगामी—2 झांसी।

ता0पे0—22.04.2021 ~~~ 1-7-2021

फरीदा बेगम

विषयः— कारागार बन्धन से पुत्र हुसैन खॉ की रिहाई के सम्बन्ध में :—

माननीय श्रीमान,

निवेदन है कि प्रार्थिया श्रीमती फरीदा बेगम पत्नी असलम खॉ निवासी सिद्धेश्वर नगर आई.टी.आई. झांसी थाना सीपरी बाजार जनपद झांसी उ0प्र0 की होकर हुसैन खॉ की रक्त जनित मां होकर हालात मुकदमा से वाकिफ है।

यह कि प्रार्थिया श्रीमती फरीदा बेगम का पुत्र हुसैन खॉ का मामला विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) द्वितीय झांसी के न्यायालय में सत्र परीक्षण सं0—210 सन् 2018 राज्य बनाम अमन कुरैशी व अन्य धारा—41,411,413 आई.पी.सी. थाना सीपरी बाजार अ0सं0—272 / 2018 के उन्मान से विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेशी 14.06.2021 से 01.07.2021 नियत कर दी गई है।

यह कि आवेदिका के पुत्र हुसैन खॉ के विरूद्ध विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0—2 द्वारा दिनांक 17.02.2021 को गैर जमानतीय वांरट आदेश पारित किये गये। दिनांक 26.02.2021 को उपस्थित होकर हुसैन खॉ ने वांरट निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र दिया जिस पर विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा वांरट निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र पर प्रार्थिया के पुत्र हुसैन खॉ को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर बंदी के रूप में कारागार झांसी भेज दिया।

फरीदा बेगम

Call for comments / report from the concerned officer. Let the comments / report be submitted by tomorrow i.e. 24.6.21

23.6.21

प्रतिलिपि A.D.J./F.T.C. (14 F.C.) Jhansi सूचनार्थ एवं आवश्यक अनुपालन हेतु प्रेषित।

आज्ञा से

I/c मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जिला न्यायालय, झाँसी 23.6.21

4/1

Enclosure:

Photocopy concerned to ownership of Smt. F...

(Vimal Prakash Arya)

Additional Distt. & Sessio...

यह कि तदापरांत न्यायालय श्रीमान जी द्वारा दिनांक 04.03.2021 को हुसैन खॉ की जमानत स्वीकार कर ली गई। उपरांत हुसैन खॉ की कारागार बंन्धन से रिहाई हेतु जामिनदार पत्र क्रमशा श्रीमती फरीदा बेगम एंव जामिनदार संन्तराम के प्रतिभू पत्र विचारण न्यायालय में दाखिल कर दिये गये। दोनो जामिनदारों की हैसयित प्रमाण पत्र सत्यापन होकर न्यायालय में पहुँचें विद्वान पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा जामीनदार संतराम के प्रतिभू पत्र स्वीकार कर लिये गये तथा प्रार्थिया जामीनदार फरीदा बेगम को नोटिस प्रदान करते हुये यह तथ्य प्रकट किये गये कि दिनांक 24.03.2021 को व दिनांक 17.04.2021 को जामिनदार प्रार्थिया ने अपने अवैध प्रपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किये है।

यह कि प्रार्थिया ने नियत तारीख दिनांक 07.04.2021 को नोटिस का जवाब दाखिल कर दिया और इस बावत समस्त अभिलेखों की छायाप्रति भी दाखिल कर दी कि जामिनदार फरीदा बेगम की जमानत में वर्णित भूमि भवन का स्वामित्व उसका ही है और वह सक्षम जामीनदार है।

यह कि लॉकडाउन की व्यवस्थाओं के कारण प्रार्थिया के नोटिस व जवाब नोटिस पर सुनवाई ना होने पर अकारण ही विधि विरूद्ध विधि से कारागार बन्धन में हुसैन खॉ रह रहा है।

यह कि विद्वान पीठासीन अधिकारी श्री विमल कुमार आर्या जी द्वारा दिनांक 14.06.2021 को मौखिक रूप से यह निर्देश दिया कि लॉकडाउन के उपरांत जब न्यायालय कार्यवाही नियमित रूप से प्रारम्भ होगी तब प्रार्थिया के नोटिस व जवाब नोटिस पर सुनवाई सम्भव होगी।

यह कि प्रार्थिया के पुत्र हुसैन खा का मामला जमानत प्रक्रिया के कार्यवाही के अन्तर्गत ही आता है जिस कारण प्रार्थिया के मामले को प्राथमिक रूप से निस्तारित किया जाना आवश्यक है।

यह कि न्यायहित में प्रार्थिया की विनय को स्वीकार कर विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश द्रुतगामी सं0–2 झासी पीठासीन अधिकारी श्री विमल आर्या जी को प्रार्थिया के नोटिस का निस्तारण कर प्रतिभू पत्रों के वैधानिक प्राक्रिया को अमल में लाये जाने का निर्देश दिया जाना आवश्यक है।

फरीदा बेगम

प्रार्थना

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थिया के पुत्र हुसैन खॉ पुत्र असलम खॉ के सत्र परीक्षण सं0–210/2018 सरकार बनाम अमन कुरैशी धारा–41,411,413 आई0पी0सी0 थाना सीपरी बाजार, जिला झांसी के प्रतिभू पत्र स्वीकार किये जाने हेतु प्रार्थिया के नोटिस के निस्तारण करने के आदेश पारित करे।

21-6-2021

दिनांकः– 21.06.2021

प्रार्थिया

फरीदा बेगम

श्रीमती फरीदा बेगम पत्नी असलम खॉ
निवासी सिद्धेश्वर नगर आई.टी.आई. झांसी थाना सीपरी बाजार जनपद झांसी उ0प्र0

प्रतिलिपिः–

श्रीमान अध्यक्ष/सचिव
जिलाधिवक्ता संघ झांसी उ0प्र0।

Identified Farida Begam

017.06.21

Seen. Put up before Hon'ble D.J.

22.6.21

From: Vimal Prakash Arya
Additional Distt. & Session Judge Jhansi
(Fast Track Court)
(C/u 14 Finance Commission)

To: The Hon'ble District Judge
Jhansi

Subject: Order passed on dated 23.06.2021 on application of Smt. Fareeda Begum w/o Aslam Khan R/o Siddheshwar Nagar I.T.I. P.S. Seepari Bazar Jhansi

Sir,

With due respect I have to say that in light of above order my comments are as below:

1. That all the allegations made in complaint application are baseless and false.
2. That on dated 17.02.2021 case was called, accused Aman and Sonu and witness Vijay Kumar Dwedi were present in the court while accused Husain Khan was absent and he did not submit exemption application. Therefore the evidence of witness Vijay Kumar Dwedi could not be recorded and hence order of N.B.W. was pass against accused Husain Khan. On dated 26.02.2021 accused Husain Khan presented his warrant recall application but the grounds mention in the application were baseless hence his application was rejected and he was taken into custody. Accused presented his bail application before Hon'ble court and Hon'ble court enlarged the accused on bail on executing P.B. of Rs-50,000/- and two sureties like in the said amount.
3. That Two sureties presented their surety bond in compliance of the said order, it came into knowledge that the surety Smt. Fareeda Begum presented unsatisfactory and unreliable document concerned to her ownership.
4. That surety Smt. Fareeda Begum did not present any proper and original document concerned to her ownership so that the court could rely on document concerned to her ownership.
5. That **surety Smt. Fareeda Begum presented a false document concerned to her ownership as a surety earlier on dated 17.04.2019 and said document was seen in bail st no.-210/2018 State vs Aman Quereshi on dated 17.04.2019**.
6. That the said surety Smt. Fareeda Begum once again presented the said false and baseless document which can not be accepted.
7. That surety Smt. Fareeda Begum is unable to present the original document concerned to her ownership. If she present her original document concerned to her ownership, court will consider and will pass proper order.
8. **That the document concered to her ownership presented by surety Smt. Fareeda Begum earlier on dated 17.04.2019 and at present time is enclosed (photocopy) for your kind perusal.**
9. That the complaint is made only to make pressure on me.

With regards.

Yours sincerely

23.06.2021
(Vimal Prakash Arya)
Additional Distt. & Session Judge Jhansi.
(Fast Track Court).
(C/u 14th Finance Commission).

Dated: 23.06.2021
Enclosure:
Photocopy concerned to ownership of Smt. Fareeda Begum

Received
23.06.2021

8152/10

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

ॐ

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 136106

Seen for Bail
ST-210/18

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0) (चौदहवें वित्त आयोग के तहत गठित), झाँसी
17/04/19

(1) कुल स्टाम्प का योग :- 210/- रुपया।

(2) लेखपत्र का प्रकार :- निरस्त पत्र

(3) नाम व पता प्रथम पक्ष :- गौरव कुमार शर्मा पुत्र श्री राम शरण शर्मा निवासी 1412 प्रेम गंज, सीपरी बाजार झाँसी। पहचान भारत सरकार द्वारा जारी आई.डी. नं0 आर-0943042 से की गई।

(4) नाम व पता द्वितीयपक्ष :- श्रीमती फरीदा बेगम पत्नी श्री मोहम्मद असलम निवासी आई0टी0आई0 सिद्धेश्वर नगर, झाँसी पहचान भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र सं0 यूपी061/328/849285 से की गई।

Gauravsharma

फरीदा बेगम

12745
24/12/2010

S/o [illegible]

श्रीमती फरीदा बेगम पत्नी मोहम्मद असलम

निवासी [illegible]

[illegible signature]

Atiq Ahmad
Stamp Bender L.No.-161
Tehsheel,JHANSI (U.P.)

उप निबंधक, झाँसी-II-झाँसी (उ0प्र0)

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 136137

(5) विवरण सम्पत्ति :- एक किता आवासीय मकान बिना नम्बरी वाके मौजा नयागाँव पर० व जिला झाँसी जिसकी नाप 20फुट × 25 फुट कुल नाप 500 वर्गफुट यानि 46.46वर्ग-मीटर जिसकी चौहद्दी पूर्व वाउन्ड्री वाल आई०टी०आई० कालेज पश्चिम रास्ता 15 फुट उत्तर मकान ताहिर हुसैन दक्षिण मकान गुलाब बाई का है। जिसका कवर्ड ऐरिया 37.17 वर्गमीटर व खुलाऐरिया 9.29 वर्गमीटरहै।

(6) सौदा :- 60,000/- साठ हजार रुपया।

(7) वापिसी बयाना :- 40,000/- चालीस हजार रुपया पूर्व प्राप्त कर लियाहै।

यह कि प्रथम पक्ष ने उपरोक्त ~~प्लाट~~ मकान का मुहायदा बय द्वितीय पक्ष से दिनांक 08-09-2008 को करवाया था जिसका पंजीकरण वही सं०। जिल्द से०

Gaurav Sharma

फरीदा बेगम

12746
24/12/2010

[illegible handwritten endorsement]

Atiq Ahmad
Stamp Bender L.No.-161
Tehsheel,JHANSI (U.P.)

विक्रय अनुबंध विलेख या निरस्तीकरण

अग्रिम धनराशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग
40,000.00	400.00	20	420.00	700

श्रीमती फरीदा बेगम
पत्नी श्री मोहम्मद असलम
व्यवसाय गृहिणी
निवासी स्थायी आई टी आई सिद्वेश्वर नगर झाँसी
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 24/12/2010 समय 2:55PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजनाथ राम
उप निबन्धक द्वितीय
झाँसी
24/12/2010

निष्पादन लेखपत्र वाद सनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री गौरव कुमार शर्मा
पुत्र श्री रामशरण शर्मा
पेशा नौकरी
निवासी 1412 प्रेमगंज सीपरी बाजार झाँसी

क्रेता

श्रीमती फरीदा बेगम
पत्नी श्री मोहम्मद असलम
पेशा गृहिणी
निवासी आई टी आई सिद्वेश्वर नगर झाँसी

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री **मोहम्मद असलम**
पुत्र श्री **मो नसीम**
पेशा **अन्य**
निवासी **आई टी आई सिद्वेश्वर नगर झाँसी**
व श्री **रोवर्ट फ्रांसिस**
पुत्र श्री **ऐ फ्रांसिस**
पेशा **अन्य**
निवासी **आई टी आई सिद्वेश्वर नगर झाँसी**
ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।
निष्पादकों की पहचान यथा प्रलेख मतदाता पहचान पत्र द्वारा की गयी है

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजनाथ राम
उप निबन्धक द्वितीय
झाँसी
24/12/2010

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 136138

2.133 पृष्ठ सं0 189-204 पर नम्बर 3794 पर दर्ज है जिसमे प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को ब्याने मे 40,000/-रुपया दिया था बकिया 20,000/-रुपया वरवक्त रजिस्ट्री बैनामा के समय प्राप्त करना तय हुआ था जिसको म्याद 2 साल 6 माह को थी चूँकि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के बीच मे आपस मे निजा पैदा हो गयी है और अब प्रथम पक्ष उक्त मकान को क्रय करना नही चाहता है और द्वितीय पक्ष उक्त

Gaurav Sharma

फरीदा बेगम

Atiq Ahmad
Stamp Vender L.No.-167
Tehsheel JHANSI (U.P.)

विक्रेता

Registration No.: 8152 Year : 2,010 Book No. : 1

0101 गौरव कुमार शर्मा

रामशरण शर्मा

1412 प्रेमगंज सीपरी बाजार झाँसी

नौकरी

उप निबंधक, झाँसी-II-झाँसी (उ0प्र0) ★ JHANSI-II-JHANSI (U.P.)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 136139

मकान ~~प्लाट~~ को बय करना नही चाहता है प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को ब्याने मे जो 40,000/-रुपया दिया था वह वापिस प्राप्त कर लिया है अब प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के बीच मे कुछ भी लेना देना शेष नही है। लिहाजा यह निरस्त पत्र स्वेच्छा से बगैर किसी दबाव के तहरीर कर दिया कि सनद रहे वक्त जरूरत पर काम आवे

बोट 2 की सतर 3 मे 25 गन्दा है व सतर 10 मे प्लाट काटकर ऊपर मकान टाईप है व पर्त 3 के सतर आखरी मे प्लाट काटकर ऊपर मकान टाईप है व पर्त 4 के सतर 1 मे प्लाट शब्द कटा है।

Gauravsharma

फरीदा बेगम

Atiq Ahmad
Stamp Vender L.No.-161
Tehsheel,JHANSI (U.P.)

क्रेता

Registration No. : 8152 Year : 2,010 Book No. : 1

0201 फरीदा बेगम

मोहम्मद असलम

आई टी आई सिद्वेश्वर नगर झॉसी

गृहिणी

झाँसी (उ०प्र०) ★ JHANSI (U.P.)

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10 Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

94AA 253334

(5)

तहरीरतारीख :- 24-12-2010 ई0

प्रारूप द्वारा :- केशव कान्त शर्मा, एड0तह0झाँसी- के.के.शर्मा (ऐड)

टाईपकर्ता :- अखिलेश कुमारश्रीवास्तव तह0झाँसी। A.K.

प्रस्तुत ... का ... चिन्ह
श्री के.के. शर्मा एडवोकेट
... तहसील झाँसी ... द्वारा प्रस्तुत है।

Gaurav Sharma

फरीदा बेगम

साक्षी (1) मोहम्मद नसीम

साक्षी (2) शेख ...

आई.टी.आई. कॉलेज शिवाजी नगर झाँसी

10/— 84

12749
25/11/2010 — मिस्टी फुलेश कमल द/ ओ मोहम्मद आलम
आई.डी. सं. अड़ी — मिलक्ष्य — नाम

Atiq Ahmad
Stamp Vender L.No.-161
Tehsheel,JHANSI (U.P.)

कार्यालय कोषागार
23 Nov
झाँसी.

कार्यालय उप निबन्धक झाँसी-II-झाँसी (उ०प्र०)
सत्यमेव जयते
★ Sub Registrar, JHANSI-II-JHANSI (U.P.)

विश्राम कक्ष
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, (F. T. C.) झाँसी।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।
दिनांक- 24. 03. 2021

नोटिस

बनाम

श्रीमती फरीदा बेगम पत्नी असलम खाँ।

निवासी- सिद्धेश्वरनगर आई०टी०आई० थाना सीपरी बाजार जनपद झांसी।

विषयः- सत्र परीक्षण सं०- 210/ 2018 राज्य बनाम अमन कुरैशी अन्तर्गत धारा- 41/ 411/ 413 IPC थाना- सीपरी बाजार, जिला झांसी मु०अ०सं०- 272/ 2018 में दिनांक- 17. 04. 2019 को अवैध प्रपत्र प्रस्तुत कर अभियुक्त की जमानत प्राप्त करने के संबंध में।

आपको अवगत कराया जाता है कि अभियुक्त हुसैन खाँ के द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र सं०- 556/ 2021 हुसैन खाँ बनाम सरकार अन्तर्गत धारा- 41/ 411/ 413 IPC थाना- सीपरी बाजार, जिला झांसी मु०अ०सं०- 272/ 2018 सत्र परीक्षण सं०- 210/ 2018 में माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांकित- 04. 03. 2021 के अनुपालन में अपने जमानत प्रपत्र बाद सत्यापन न्यायालय में प्राप्त होने पर आपके द्वारा प्रस्तुत विलेख दिनांकित- 24. 12. 2010 नविस्ता गौरव कुमार शर्मा बहक फरीदा बेगम का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि उक्त प्रपत्र इकरारनामा दिनांकित- 08. 09. 2008 को निरस्त करने से संबंधित है। उक्त प्रपत्र से यह कहीं साबित नहीं होता है कि आप एक किता आवासीय मकान बिना नंबरी स्थिति मौजा नया गांव परगना व जिला झांसी जिसकी नाम 20x25 फीट कुल 500 वर्गफीट अर्थात 46. 46 वर्गमीटर जिसकी चौहददी में जानिब पूर्व बाउण्ड्रीबॉल आई०टी०आई० कॉलेज, पश्चिम रास्ता 15 फीट, उत्तर मकान ताहीर हुसैन, दक्षिण मकान गुलाब बाई जिसका कर्वड एरिया 37. 17 वर्गमीटर व खुला एरिया 9. 29 वर्गमीटर दर्शाया गया है, पर आपके द्वारा दिनांक- 17. 04. 2019 को सत्र परीक्षण सं०- 210/ 2018 सरकार बनाम अमन कुरैशी मु०अ०सं०- 272/ 2018 में प्रस्तुत कर अभियुक्त की आपने जमानत ली। उक्त प्रपत्र से आप प्रथम दृष्टया उक्त मकान की स्वामिनी प्रतीत नहीं होती हैं।

चूँकि आपने दिनांक- 17. 04. 2019 को न्यायालय को गुमराह करके और गलत दस्तावेज प्रस्तुत करके अभियुक्त हुसैन खाँ की जमानत ली और पुनः आपने माननीय जनपद न्यायाधीश में आदेश दिनांक- 04. 03. 2021 के अनुपालन में उक्त दस्तावेज प्रस्तुत किया।

अतः आप दिनांक- 07. 04. 2021 को प्रातः 11. 00 बजे तक प्रश्नगत मकान के स्वामित्व के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करें कि आप किस आधार पर उक्त मकान की स्वामिनी है और साथ ही यह भी स्पष्ट करें कि दिनांक- 17. 04. 2019 को व माननीय जनपद न्यायाधीश के आदेश दिनांक- 04. 03. 2021 के अनुपालन में उक्त दस्तावेज प्रस्तुत कर न्यायालय को गुमराह करने के बावत क्यों न आपके विरुद्ध फौजदारी वाद दर्ज किया जाए। जमानतदार फरीदा बेगम द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज दिनांकित- 17. 04. 2019 अग्रिम तिथि तक जब्त किया जाता है।

तहसीलदार झांसी को नोटिस जारी हो कि जमानतदार फरीदा बेगम के प्रश्नगत मकान के स्वामित्व के संबंध में दस्तावेज व अपनी आख्या के बावत दिनांक- 07. 04. 2021 तक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

फरीदा बेगम

२४-३-२१

24-03-2021
अपर सत्र न्यायाधीश, (F. T. C.) झाँसी।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

I/c CAO

Complete record of ST No 210/18 ST v Aman Dwivedi & others be summoned from the court concerned & be placed before me by tomorrow

Sd/-
28/6/21

Copy of order.

Perused the application of Mrs Fareeda Begum, the PO concerned report/comments of the PO concerned and the paper on record of ST No 210/2018 ST v Aman & others and letter issued to the surety by Sri V.P. Arya ADJ (P.C.) 14th & in the form of DO letter (2) to the surety Smt Fareeda Begum.

A legal proceeding has been initiated with a notice from the chamber of the Sri V.P. Arya ADJ enquiring the matter requires enquiry. The ... is also observed that on the notice or proceeding initiated no misc or other case appears to have been registered.

In the emergent exigency the ST no. 210/2018 & connected ST no. 211/2018 ... B.A. 556/2021 & connected papers be transferred to court of ADJ Anti Dacoity for

(Contd)

Sd/-
30/6/21

Contd

The ST no 210/2018 ST v Aman & others along with ST connected ST 211/2018 ST v Aman Dwivedi u/s 3/25 Act & B.A. 556/2021 & connected papers in which the notice appears to have been issued be immediately transferred to ADJ (Special Judge Anti Dacoity) for proceeding as per law. Record be sent immediately.

Sd/-
30/6/21

प्रतिलिपि A.D.J. (F.T.C) 14th P.C Court, Jhansi

सूचनार्थ एवं आवश्यक अनुपालन हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से

Sd/-

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
जिला न्यायालय, झाँसी
30/06/21